न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः– 05/2023
जी सी एम एस न0 2023/73

दर्ज दिनांक 02.02.2022
निर्णय दिनांकः– 16.05.2023

जसवन्त सिंह शेखावत पुत्र श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार गुढ़ागौड़जी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 110, 128 एल.आर.एक्ट वास्ते पत्थरगढी
निर्णय

दिनांकः– 16.05.2023

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम गुढ़ागौड़जी पटवार हल्का गुढ़ागौड़जी में भूमि की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 304 पुराना 262 नम्बर 1588, 3469/1602 कुल किता 2 अवस्थित है उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2022 को पटवारी हल्का गुढ़ागौडजी मौके पर जाकर सीमाज्ञान तैयार किया था। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि फर्द सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2022 के अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। अप्रार्थी बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2022 के अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी के आदेश किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम गुढ़ागौड़जी पटवार हल्का गुढ़ागौड़जी में भूमि की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 304 पुराना 262 खसरा न. 1558, 3469/1602 में प्रार्थी के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड होना साबित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2022 के अनुसार खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाना चाहता है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। उक्त विवेचन से प्रार्थी अनावश्यक विवादों से बचने के लिए खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाने के अधिकारी है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार गुढागौडजी को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम गुढ़ागौड़जी पटवार हल्का गुढ़ागौड़जी में भूमि की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 304 पुराना 262 खसरा न. 1558, 3469/1602 के चारो ओर सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2022 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवावे।

16/5/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/5/23

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:19:13 IST
Reason: SelfAttested